POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2015-17 (RNI. REG. NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2015/अंक 09

मासिक प्रेषण दि. 8 सितम्बर, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 सितम्बर, 2015 मूल्य 50 पैसे

प्रदेश में मरुस्थलीकरण रोकने के प्रयासों की जरूरत!

राजस्थान में मरुस्थलीकरण, भूमिक्षरण तथा सूखे से बचाव के लिए सामुदायिक स्तर पर समन्वित प्रयास करने होंगे। इस तरह के पेड़-पौधे लगाने होंगे जो मिट्टी के कटाव को रोक सकें। इसके साथ पर्यावरण व जैव विविधता के संरक्षण के लिए ग्राम पंचायत स्तर तक सभी लोगों को जागरूक करना होगा।

यह विचार राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड के चेयरमैन प्रमोद कुमार ने 'कट्स' द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से 18 अगस्त को जयपुर में आयोजित 'मरुस्थलीकरण, भूमिक्षरण तथा सूखे से बचाव' विषयक राज्य स्तरीय कार्यशाला में व्यक्त किए।

कार्यक्रम में 'कट्स' निदेशक जॉर्ज चेरियन ने बताया कि राजस्थान मरुस्थलीय प्रदेश है इसलिए यहां ज्यादा काम करने की जरूरत है। देश में भौगोलिक क्षेत्र का 25 फीसदी भाग रेगिस्तान हो चुका है और 32 फीसदी भूमि की गुणवत्ता घटी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 'कट्स' व मंत्रालय के सहयोग से 295 स्वयंसेवी संस्थाएं अपने-अपने क्षेत्र में लोगों को इस बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाएंगी और विभिन्न गतिविधियां संचालित करेंगी।

संसद में हो सार्थक बहस

संसद और विधान सभाओं में शोरगुल, पक्ष-विपक्ष की आपसी तना-तनी, छोटे-छोटे मुद्दों पर बहिर्गमन व कार्यवाही नहीं चलने देना जैसी हरकतें अब आम जनता को अखरने लगी हैं। जनता चाहती है कि सरकार और विपक्ष देशहित और जनहित के मुद्दों पर सार्थक बहस को अहमियत दें। इससे हमारे लोकतंत्र की जड़ों को मजबूती मिलेगी और धरातल स्तर तक स्थाई विकास को बल मिल सकेगा।

- बलदेव सिंह, चित्तौड़गढ़

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम!

संसद का मानसून सत्र फिर हंगामे की भेंट चढ़ गया। केन्द्र में प्रचंड बहुमत की सरकार होने के बावजूद यह हुआ। कांग्रेस दल के सिर्फ 44 सांसदों ने संसद के दोनों सदनों में काम नहीं होने दिया।

इस सत्र के दौरान 176 घंटे काम होना था, लेकिन काम हुआ सिर्फ 57 घंटे। संसद हो या विधान सभाएं उनमें काम नहीं होने की यह कोई पहली घटना नहीं है। अब यह परिपाटी सी बनती जा रही है। कई उम्मीदें रखने वाली जनता इस महारोग से हताश है। सांसद कभी यह विचार नहीं करते कि हमें काम के बदले जनता के धन से वेतन, कई तरह भत्ते और पेंशन तक मिलती है।

यह ही नहीं, संसद के नहीं चलने से जनता के धन से हर मिनट औसतन 2 लाख 50 हजार रुपए बर्बाद हो जाते हैं। सवाल यह है कि सांसद अपने वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए जिस तरह बिना किसी दलीय राजनीति के एक मत हो जाते हैं, उसी तरह सभी दलों में क्या आम सहमति नहीं होनी चाहिए कि संसद को चलने दिया जाए?

सवाल यह भी है, आखिर हम कब तक ऐसी परिपाटियों को ढोते रहेंगे? सुधारवादी दृष्टि व नयापन लाने के प्रयास आवश्यक है। प्रसन्नता है इससे हताश कई बुद्धिजीवियों व उद्योगपतियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। संभावना है आगे कुछ अच्छे नतीजे सामने आएं।

उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2015 को दी मंजूरी

केन्द्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2015 को मंजूरी दे दी है। इसमें गलत कारोबारी तरीके रोकने के लिए उपभोक्ता नियामक के गठन का प्रस्ताव है। नियामक का नाम सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी होगा। इसके पास प्रोडक्ट रिकॉल, रिफंड और मुआवजे का आदेश देने के अधिकार होंगे।

अगर प्रभावित ग्राहकों की संख्या ज्यादा है तो कंपनी के खिलाफ क्लास एक्शन मुकदमा अर्थात सामूहिक रूप में मुकदमा दायर किया जा सकेगा। ऑनलाइन बिक्री करने वाले भी इसके दायरे में आएंगे। 'क्लास एक्शन' में सभी प्रभावित मुआवजे के हकदार होंगे।

किसी कंपनी के गलत कारोबारी तरीके से अगर ग्राहकों को नुकसान होता है, तो अथॉरिटी उसमें दखल दे सकेगी। किसी प्रोडक्ट या सेवा की जिम्मेदारी उसके निर्माता या सेवा प्रदाता की होगी। अगर प्रोडक्ट या सेवा से ग्राहक को चोट पहुंचती है, मौत हो जाती है या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो निर्माता या सेवा प्रदाता के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। उसका लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है।

कुछ मामलों में आजीवन कैद का भी प्रावधान किया गया है। भ्रामक प्रचार की जांच के साथ अथॉरिटी के पास छानबीन और जब्ती का भी अधिकार होगा। मैगी विवाद के बाद नया प्रस्तावित कानून काफी अहम हो गया है।

ग्राहक हित में हो सकेंगे फैसले

- *शिकायत स्वीकार करने पर 21 दिनों में फैसला नहीं होता है तो उसे 'स्वीकार हुआ' मान लिया जाएगा। ग्राहक चाहे तो अपना केस खुद, मान्यता प्राप्त एजेंट या वकील के जरिए लड़ सकता है।*
- *व्यक्तिगत तौर पर उपस्थिति जरूरी नहीं होगी। हलफनामे और कागजात के आधार पर भी फैसला किया जा सकेगा।*

गलत खून चढ़ाया, देना होगा 14.95 लाख रुपए हर्जाना

उत्तरप्रदेश में सहारनपुर के एक सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिला नीलम गुप्ता को डॉक्टर ए.के. मित्तल ने गलत खून चढ़ा दिया। नतीजा यह हुआ कि चार बार उसकी कोख से पैदा हुए बच्चों की मौत हो गई। मामला राज्य उपभोक्ता आयोग में दर्ज हुआ। राज्य आयोग ने डॉक्टर को दोषी मानते हुए पीड़िता नीलम गुप्ता को दो लाख रुपए का हर्जाना अदा करने का आदेश दिया।

डॉ. ए.के. मित्तल ने उपभोक्ता आयोग के फैसले के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में अपील दर्ज कराई। सुनवाई पर आयोग ने अस्पताल, संबंधित ब्लड बैंक और डॉक्टर को दोषी माना। आयोग ने अपनी तीखी टिप्पणी में कहा कि ऐसे अनैतिक कामों और लापरवाही के कारण ही सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं लाचार होती जा रही हैं। सरकारी डॉक्टरों के लापरवाहिक रवैये की तरफ कोई जवाबदेही ही तय नहीं है। इससे गरीब मरीजों का शोषण होता है।

आयोग ने सरकारी अस्पताल में सामूहिक लापरवाही से हुई इस भयंकर गलती को दुर्लभ मामला मानते हुए आदेश दिया कि अस्पताल, संबंधित ब्लड बैंक और डॉक्टर ए.के. मित्तल मिलकर पीड़िता नीलम गुप्ता को 14 लाख 95 हजार रुपए का हर्जाना मय परिवाद खर्च के अदा करें।

सरकार लाएगी वन-धन योजना

वन विभाग की वन-धन योजना को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मंजूरी दे दी है। पहले चरण में यह योजना रणथंभौर, कुंभलगढ़, जंवाई, जैसलमेर और माउंट आबू नेशनल पार्क और सेंचुरी के पास के 140 गांवों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की जाएगी। यह योजना ग्रामीणों की जंगलों पर निर्भरता को खत्म करने के लिए लाई गई है। इससे वनों व वन्यजीवों के संरक्षण में आसानी होगी।

इन गांवों की महिलाओं और अशिक्षित पुरुषों को कृषि व पशुपालन रोजगार से जोड़ा जाएगा। शिक्षित युवाओं को ट्रेनिंग देकर होटलों व उद्योगों में रोजगार दिलाया जाएगा। ग्रामीणों को कर्ज के साथ-साथ केन्द्र व राज्य सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ भी दिलाया जाएगा। प्रयोग सफल रहा तो इसे प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा।

जल संरक्षण में राजस्थान अव्वल

प्रदेश ने पानी बचाने के मामले में देश के दूसरे राज्यों को पछाड़कर पहला स्थान प्राप्त किया है। केन्द्रीय भूमि संसाधन विभाग द्वारा हाल ही जारी 2014-15 की रिपोर्ट में बताया गया है कि राजस्थान ने 32 हजार 158 वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर शेड स्ट्रक्चर बनाकर देश में पहला स्थान बनाया है। प्रदेश ने देश में सर्वाधिक 11 हजार 460 चेक डेम बनाए।

रिपोर्ट के अनुसार 32 हजार से ज्यादा पानी बचाने और संरक्षित करने के स्ट्रक्चर बनाकर न केवल भू-गर्भ में सर्वाधिक पानी संरक्षित किया, बल्कि सूखे क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने की दिशा में भी अच्छा काम किया है। प्रदेश में यह काम जल संसाधन विभाग, संबंधित विभागों की तरफ से तथा जन सहभागिता से करवाए गए।

बच्चों के हक का खा रहे गुरुजी

बच्चों के पोषाहार के लिए आए मिड-डे-मील की खाद्य सामग्री व उनके पढ़ने के लिए आई पाठ्य पुस्तकों को गुप-चुप तरीके से बेचने जा रहे शिक्षक गोविन्द शर्मा को पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। वह करौली जिले के गांव मनाखुर स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में तैनात हैं और बयाना उपखण्ड के गांव खरेरी के निवासी है।

उनके साथ टैम्पू चालक उनके चचेरे भाई पवन शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है। इस टैम्पू में वह स्कूल पोषाहार का गेहूं, चावल और पाठ्य पुस्तकें चुराकर चुपचाप बेचने जा रहे थे। ग्रामीणों व पुलिस का मानना है कि अक्सर स्कूलों से पोषाहार और पुस्तकों की चोरी के मामले दर्ज होते रहते हैं।

ऐसे तो हो चुका गांवों का विकास?

प्रदेश भर में ग्राम सेवकों के तीन हजार पद खाली पड़े है। प्रदेश में 9894 ग्राम पंचायतें हैं। जबकि 6500 ग्राम सेवक ही कार्यरत हैं। बाकी के पद खाली पड़े हैं। करीब 500 ग्राम सेवक ऐसे हैं, जिनके पास तीन से पांच पंचायतों तक का कार्यभार है, जिसे वे पूरा नहीं कर पाते।

देखा जाए तो ग्राम पंचायत के सभी प्रशासनिक काम ग्राम सेवक को करने होते हैं। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, भवन निर्माण अनुमति, पट्टा बनाना, इंदिरा आवास व मुख्यमंत्री आवास योजना के आवेदन तैयार कर भेजना, पेंशन योग्य ग्रामीणों के आवेदन तैयार करना, मनरेगा जॉब-कार्ड बनाना तथा स्वच्छ भारत अभियान में शौचालय आदि के प्रस्ताव बनाकर ग्राम सेवक ही भेजता है। ग्राम सेवक नहीं होने से ये सारे कार्य प्रभावित हो रहे हैं। विभाग के आला अफसरों का कहना है कि जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी।

नई ग्राम पंचायतों का उधारी खाता

गांवों में विकास की रफ्तार तेज करने के मकसद से सरकार ने प्रदेश में 723 नई ग्राम पंचायतों का गठन तो कर दिया लेकिन ये ग्राम पंचायतें अपने खर्च भी उधार के भरोसे ही चला रही हैं। इन ग्राम पंचायतों का बैंक खाता पिछले सात माह से खाली है। इसके चलते इन ग्राम पंचायतों में विकास होना तो दूर सरपंच का मानदेय और वार्ड पंच का भत्ता तक उधारी में चल रहा है।

इस बारे में ग्रामीण विकास एवं पचायतीराज मंत्री सुरेन्द्र गोयल का कहना है कि फंड नहीं मिलने के कारण आवंटन नहीं हो पाया है। जल्द ही केन्द्र, राज्य और अनटाइटल फंड का पैसा आने वाला है।

पेड़ काटने पर सरपंच पर जुर्माना

नागौर जिले की तापरवाड़ा पंचायत के पूर्व सरपंच जुगल किशोर व ग्राम सेवक ने ग्राम पंचायत की गोचर भूमि पर लगे 16 हजार पेड़ों में से 3000 पेड़ अवैध रूप से कटवा दिए। बाद में इन कटे पेड़ों की नीलामी कर दी, जबकि वन क्षेत्र में पेड़ काटने और नीलामी का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं था।

मोडी खुर्द निवासी जवाना राम व अन्य ने इस बारे में जोधपुर सर्किट बैंच में याचिका दायर की थी। सर्किट बैंच ने याचिका की सुनवाई करते हुए सरपंच व ग्रामसेवक पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और आदेश दिया कि वह जुर्माने की राशि एक माह में जिला वन अधिकारी के पास जमा कराएं। इस राशि का उपयोग वन विकसित करने में किया जाएगा।

अंगूठे की छाप से मिलेगा राशन

प्रदेश की सभी राशन दुकानों पर अब अंगूठे की छाप से राशन सामग्री मिलेगी। इसके लिए दुकानों पर तीन चरणों में पोश मशीन लगाई जाएंगी। पोश मशीन से खाद्य सामग्री का वितरण करने के लिए राशन कार्ड की ऑनलाइन फीडिंग शुरू हो गई है। राशन डीलर मशीन में हर उपभोक्ता के अंगूठे की निशानी स्केन करेंगे। मशीन से दिए गए सामान की रसीद भी मिलेगी।

दुकान से होने वाले वितरण की पल-पल की रिपोर्ट विभाग के पास अपडेट होगी। इसके लिए राशन डीलर को पूरा प्रशिक्षण दिया जाएगा। डीलर के कमीशन में बढ़ोतरी भी की जाएगी। इससे राशन दुकानों की आए दिन होने वाली कालाबाजारी की शिकायतों पर अंकुश लग सकेगा।

विधायक ने खोली मनरेगा की पोल

मनरेगा में भ्रष्टाचार व्याप्त है। कार्यस्थल पर श्रमिक नजर नहीं आते, जबकि फर्जी मस्टररोल में ऑनलाइन सिस्टम में श्रमिकों के नाम दर्ज हो रहे हैं। श्रमिकों के अनुपात में काम नजर नहीं आ रहा। जिले में बिना काम किए पैसे उठाने वाले लोगों का गिरोह बनता जा रहा है। इसमें ऑपरेटर से लेकर जेईएन तक सारा काम मिलीभगत से हो रहा है।

कोटा जिला परिषद् स्थित अटल सेवा केन्द्र में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान पीपल्दा के भाजपा विधायक विद्याशंकर नंदवाना ने पंचायतीराज मंत्री सुरेन्द्र गोयल को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा मनरेगा कार्यों का निरीक्षण नहीं किया जा रहा है।

ग्राहक सुविधा केन्द्र की स्थापना

भारत सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के सौजन्य से 'कट्स' इन्टरनेशनल द्वारा शीघ्र ही ग्राहक सुविधा केन्द्र की स्थापना की जाएगी। केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने 18 मार्च, 2015 को दिल्ली में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के उपलक्ष में आयोजित राष्ट्रीय सेमीनार में इस आशय का पत्र 'कट्स' प्रतिनिधि को प्रदान किया था। इस सन्दर्भ में 30 जून, 2015 को मंत्रालय व संस्था के मध्य एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। केन्द्र पर कार्य प्रारंभ हो चुका है, लेकिन औपचारिक शुभारंभ विधिवत रूप से 15 सितम्बर 2015 को एक कार्यक्रम के माध्यम से किया जाएगा।

ग्राहक सुविधा केन्द्र

ग्राहक सुविधा केन्द्र
कंज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स)
डी-218 ए, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर
302016 ई-मेल: gsk@cuts.org
फोन: +091.141.4015395

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485